FOR COPYING FEES ONLY — COURT FEE — भारत INDIA — एक रुपया ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY — दो रुपया TWO RUPEES

FOR COPYING FEES ONLY — COURT FEE — भारत INDIA — दो रुपये TWO RUPEES

FOR COPYING FEES ONLY — COURT FEE — INDIA — दो रुपये TWO RUPEES

केवल नकल की फीस वे

आवश्यक स्टाम्प, प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of Delivery of	Signature of official Delivering Dopy
1285 31-8-18	1-9-18	1-9-18	01/09/18

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट दुद्धी जनपद सोनभद्र

मु० नं० T201816660202602

रामनगीना शैक्षिक संस्थान बनाम ग्राम पंचायत

अन्तर्गत धारा 80 उ० प्र० राजस्व संहिता

बावत ग्राम चपकी प० व तह० दुद्धी जनपद सोनभद्र

नकल आदेश दिनांक 8-8-18 की छाया प्रति

प्रमाणित तीन अदद।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :सोनभद्र,तहसील :दुद्धी
वाद सख्या :-02602/2018
कंप्यटरीकृत वाद संख्या :-T201816660202602
रामनगीना शैक्षिणिक सस्थान बनाम ग्राम पचायत चपकी
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी रामनगीना शैक्षणिक सेवा संस्थान ग्राम तोडरपुर तहसील जखनिया जिला गाजीपुर द्वारा प्रवन्धक रामनगीना यादव पुत्र सहतू निवासी ग्राम तोडरपुर तहसील जखनिया जिला गाजीपुर द्वारा दिनांक 10.04.2018 को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–80 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी है। वादी का कथन है कि ग्राम चपकी के खतौनी खाता सं0 00317 आराजी सं0 1707मि0/0.1468, 1711मि0/0.1000, 1713मि0/0.1794, 1718मि0/0.0800, 1726मि0/0.1177हे0 कुल 5 गाटा रकबा योग 0.6239हे0 व गाटा संख्या–1707मि0/0.1468, 1711मि0/0.01150, 1713मि0/0.1792, 1718मि0/0.0800, 1726मि0/0.1230हे0 कुल योग 5 गाटा रकबा योग 0.6440हे0 व 1707मि0/0.1468, 1711मि0/0.1150, 1713मि0/0.1792, 1718मि0/0.0800, 1726मि0/0.1230हे0 कुल 5 गाटा रकबा योग 0.6440हे0 एवं गाटा संख्या 1707मि0/0.0656, 1708मि0/0.0274, 1709मि0/0.0550, 1711मि0/0.1150, 1713मि0/0.1792, 1726मि0/0.0758, योग 6 गाटा रकबा योग 0.5180हे0 व गाटा संख्या–1708मि0/0.0426, 1709मि0/0.1030, 1711मि0/0.1250, 1713मि0/0.1792, 1726मि0/0.0776, कुल 5 गाटा रकबा0.5274हे0 कुल सम्पूर्ण 26गाटा रकवा 2.9573हे0 भूमि का वह संक्रमणीय भूमिधर है, और मौके पर काबिज है। उक्त भूमि आवासीय भूमि है जिसका गैर कृषिक उपयोग/आवासीय भूमि के रूप में किया जा रहा है। वादी अपने उक्त आवासीय भूमि के रकबे को गैर कृषिक उपयोग की भूमि उद्घोषित कराते हुए लगान मुक्त कराना चाहता हैं। वाद पत्र में ग्राम पंचायत चपकी पर0 व तहसील दुद्धी सोनभद्र को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है किन्तु उक्त भूमि से ग्राम पंचायत चपकी का कोई वास्ता सरोकार नही है। अन्त में वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि स्थित ग्राम चपकी पर0 व तहसील दुद्धी सोनभद्र को गैर कृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, फेहरिस्त सबूत के साथ कम्प्यूटराईज्ड उद्वरण खतौनी, खसरा, नजरी नक्शा व मकान का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है।

नियमानुसार वाद योजित कर प्रकरण में तहसीलदार दुद्धी सोनभद्र से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, दुद्धी द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 04.08.2018 में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त बादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम चपकी पर0 व तहसील–दुद्धी जिला–सोनभद्र के नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रुप में अंकित है। आवेदक के भूमि पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन बागवानी तथा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सीलिंग

8/8/18

भू–दान से प्राप्त अथवा ग्राम पंचायत की नहीं है। प्रश्नगत भूमि शिक्षण संस्थान के नाम से है और परिसर का निर्माण हो गया है व शेष निर्माण जारी है। इस आधार पर जॉच आख्या में प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत की गयी है।

वाद के निस्तारण हेतु वादी अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(सजस्व) की बहस विस्तार से सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों व प्राप्त जॉच आख्या का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार दुद्धी की आख्या से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन में उपयोग हो रहा है। उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 80(5) में व्यवस्था दी गयी है कि **'राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिऐ शुल्क का मानक नियत कर सकती है और भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न–भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता हैं, परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके किसी भाग को आपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये कोई शुल्क अधिरोपित नही किया जायेगा।"** चूकि वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग शैक्षणिक संस्थान/वाणिज्यिक उपयोग में लायी जा रही है। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु भूमि के आगणित मूल्यांकन 10,00,000/रू0 प्रति हे0 का एक प्रतिशत मु0 29,573.00रू0 होता है जो चालान के माध्यम से जमा कर चालान संलग्न पत्रावली किया गया है।

पत्रावली में संलग्न खतौनी खाता संख्या–00317 की प्रश्नगत आराजियात का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित भूमि को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु संलग्न अभिलेखीय सक्ष्यों का भी अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि वादी रामनगीना शैक्षणिक सेवा संस्थान, चपकी पर0 व तहसील दुद्धी सोनभद्र के नाम श्रेणी–1–(क)भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो, के रूप में अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में वादी के नाम दर्ज है। उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिये जोत का उपयोग– के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गयी है कि–

"भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह–भूमिधर द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र तब तक पोषणीय नहीं होगा, जब तक की ऐसी भूमिधरी भूमि के सभी सह–भूमिधरो द्वारा प्रार्थना पत्र नही दिया जाता है या उसमें उनके हितो का विभाजन विधि के उपबन्धो के अनुसार नही कर दिया जाता है।" इस कम में वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के सहखातेदारों के सहमति स्वरुप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न पत्रावली है। उक्त सहमति पत्र के अनुसार प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु सहमति दी गयी है जिससे स्पष्ट है कि उन्हें कोई आपंत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी खाता खाता 00317 के प्रश्नगत आराजियात को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार मौके पर भूमि अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है, कृषि एवं कृषि से जुड़े प्रयोजन(उद्यानीकरण अथवा पशुपालन जिसके अर्न्तगत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन) में

8/18

प्रयुक्त नही हो रही है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि खाता सं0 00317 के वादग्रस्त भूमि को अकृषिक भूमि के रूप में प्रख्यापित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन परिलक्षित नहीं होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम चपकी परगना व तहसील दुद्धी सोनभद्र के खाता सं0 00317 आराजी सं01707मि0/0.1468, 1711मि0/0.1000, 1713मि0/0.1794, 1718मि0/0.0800, 1726मि0/0.1177हे0 कुल 5 गाटा रकबा योग 0.6239हे0 व गाटा संख्या–1707मि0/0.1468, 1711मि0/0.01150,1713मि0/0.1792,1718मि0/0.0800,1726मि0/0.1230हे0 कुल योग 5 गाटा रकबा योग 0.6440हे0 व 1707मि0/0.1468, 1711मि0/0.1150, 1713मि0/0.1792, 1718मि0/0.0800, 1726मि0/0.1230हे0 कुल 5 गाटा रकबा योग 0.6440हे0 एवं गाटा संख्या 1707मि0/0.0656, 1708मि0/0.0274, 1709मि0/0.0550, 1711मि0/0.1150, 1713मि0/0.1792, 1726मि0/0.0758, योग 6 गाटा रकबा योग 0.5180हे0 व गाटा संख्या–1708मि0/0.0426,1709मि0/0.1030,1711मि0/0.1250, 1713मि0/0.1792, 1726मि0/0.0776, कुल 5 गाटा रकबा 0.5274हे0 कुल सम्पूर्ण 26गाटा रकबा 2.9573हे0 भू0राजस्व 41.55रू0 भूमि को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार दुद्धी की आख्या दिनांक 04.08.2018(पताका–क) आदेश का अंग होगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार की जाये। आदेश की सत्यप्रतिलिपि उपनिबन्धक दुद्धी,सोनभद्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक अगस्त ,2018

8/8/18

(राम चन्द्र यादव)
उप जिलाधिकारी/अ0क0प्र0 श्रेणी,
दुद्धी–सोनभद्र।

8/10

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग - 2 — कोषागार प्रपत्र - 209 (01)

प्रपत्र संख्या - 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी की धनराशि प्रपत्र सं0 43ए (2) द्वारा जमा की जाएगी)

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा: उपकोषागार, दुद्धी / इलाहाबाद बैंक दुद्धी

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उनका नाम व पता: राधाकृष्णा शैक्षणिक सेवा संस्थान चपकी - दुद्धी, सोनभद्र)
2. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व पद संख्या:
3. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है): शैक्षणिक अनि इन्दुप्रेक्षा हेतु
4. जमा की रही धनराशि: 29,573=00
5. लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/मुहर: 0029 अकाशिक देय 800 अन्य प्राप्तियां 06 सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण लागत शुल्क

6. लेखाशीर्ष का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्ष	उप मुख्य	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	व्यरिवार शीर्ष	धनराशि (रु0 अंकों में)
0029	00	800	06	00	29573--
				योग :	29573--

धनराशि (शब्दों में) उन्तीस हजार पाँच सौ तिहत्तर

लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ......(24)...... अंकों में रु0 29573=

दिनांक ....07/8/18 शब्दों में रु0 उन्तीस हजार पाँच सौ तिहत्तर

प्राप्त किया 29573

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर